

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 436] No. 436] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 10, 2017/कार्तिक 19, 1939

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 10, 2017/KARTIKA 19, 1939

राष्ट्रीय न्यास

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2017

फा. सं. 164 / संशोधित / आरआर / एनएटी / 2014-15 / खंड ।.—बोर्ड स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मन्दता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति के कल्याण राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) की धारा 35 की उप धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से न्यास विनिमय, 2001 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात :-

- 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ: (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम न्यास (संशोधन) विनियम, 2017 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. न्यास विनियम, 2001 में -
- (क) विनियम 3 के उप-विनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा अर्थात: -
- "(2) सेवा शर्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, पदों की संख्या, उनकी शैक्षिक योग्यता, वेतन स्तर, भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, परिवीक्षा की अवधि और उक्त पदों से संबंधित अन्य मामले इन विनियमों से आबद्ध अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।";
 - (ख) प्ररूपों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूची अनुस्थापित की जाएगी, अर्थात : -

6641 GI/2017 (1)

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन स्तर	चयन पद या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1) कार्यक्रम निदेशक	*1 (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	वेतन बैंड-12; (78800-209200)	लागू नहीं होता	पचास वर्ष से अनिधिक। (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों अथवा आदेशों के अनुसार पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पणः आयु – सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत मे अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पिति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप खंड, अंदमान एवं निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीघी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य आवश्यकताएं	क्या सीधी भर्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति के मामले में भी लागू होगा	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति -सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने का प्रतिशत
(7)	(8)	(9)	(10)
 आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र अथवा सामाजिक कार्य अथवा समाज विज्ञान में मास्टर डिग्री; (ii) विकासात्मक क्षेत्र में आठ वर्ष का अनुभव। वांछनीय: दिव्यांगता के क्षेत्र में अनुभव। 	आयु – नहीं। . शैक्षिक अर्हताएं – हॉं।	सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष। टिप्पण: एक वर्ष की अवधि में सफलता पूर्वक पूरी की गयी दो सप्ताह की आज्ञापक प्रवेशण प्रशिक्षण अवधि शामिल होगी।	सयुक्त पद्धति द्वारा : (प्रतिनियुक्ति / प्रोन्नति) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नित अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वह श्रेणी जिससे प्रोन्नित अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाना है	यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो इसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में संघ लोक सेवा (यूपीएससी) आयोग से परामर्श करने की परिस्थितियां
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के विभागों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा अर्द्ध सरकारी अथवा स्वायत्त अथवा कानूनी संगठनों में कार्यरत वे अधिकारी जो (क) (i) जो मूल काडर / विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन स्तर-11 (67700—208700) की श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और; जिनके पास सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो। वह उप-निदेशक जिसने राष्ट्रीय न्यास में वेतन स्तर-11, (67700 — 208700) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो, पर भी बाहरी अभ्यर्थियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि वह चयनित हो जाता है / जाती है वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया पद माना जाएगा। टिप्पण: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	चयन समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) की सरंचना इस प्रकार होगी: (1) संयुक्त सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय न्यास – अध्यक्ष; (2) संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्ययांगजन सश्कतीकरण विभाग अथवा उनका प्रतिनिधी – सदस्य; (3) स्वपरायणता, प्ररमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता बहु-विकलांगता के दो विषयक विशेषज्ञ - सदस्य। विभागीय पृष्टि समिति (पृष्टि पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित होगे: (1) संयुक्त सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय न्यास – अध्यक्ष; (2) संयुक्त सचिव, प्रशासनिक मंत्रालय अथवा उनका प्रतिनिधि – सदस्य; (3) निदेशक, प्रशासनिक मंत्रालय – सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(2) उप-निदेशक	*1 (2017)	लागू नहीं होता	वेतन स्तर-11;	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	*कार्यभार के आधार		(67700–		
	पर परिवर्तन किया		208700)		
	जा सकता है		,		

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	संयुक्त पद्धति द्वारा : (प्रतिनियुक्ति/ प्रोन्नति)

	,	
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति:		लागू नहीं होता।
केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के विभागों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित होंगे।	
संस्थानों अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा अर्द्ध	(1) संयुक्त सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी,	
सरकारी अथवा स्वायत्त अथवा सांविधिक संगठनों में	राष्ट्रीय न्यास – अध्यक्ष;	
कार्यरत वे अधिकारी जो;	(2) निदेशक/उप-सचिव, प्रशासनिक मंत्रालय –	
(क) (i) जो मूल काडर / विभाग में नियमित आधार पर	सदस्य;	
सदृश पद धारण किए हुए हैं; या	, (3) कार्यक्रम निदेशक, राष्ट्रीय न्यास – सदस्य।	
(ii) जिन्होंने वेतन स्तर – 10((56100-177500)	(6) 14 (11 (11 (11 (11 (11 (11 (11 (11 (11	
या समतुल्य पद पर पाँच वर्ष की सेवा की हो; या		
(iii) जिन्होंने वेतन स्तर – 8((47600-151100) या		
समतुल्य पद पर छह वर्ष की सेवा की हो; या		
(iv) जिन्होंने वेतन स्तर - 7((44900-142400) या		
समतुल्य पद पर सात वर्ष की सेवा की हो; और		
(ख) जिनके पास :		
(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की बैचलर डिग्री हो;		
(ii) प्रशासन अथवा स्थापना अथवा लेखा में पांच वर्ष		
का अनुभव हो।		
विकासात्मक क्षेत्र में अनुभव प्राप्त उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी।		
प्रोन्नति :		
विभागीय कार्यक्रम अधिकारी जिन्होंने राष्ट्रीय न्यास		
में वेतन स्तर - 7; (44900-142400) की श्रेणी में		
नियमित आधार पर सात वर्ष की हो और लेखा		
अधिकारी जिन्होंने राष्ट्रीय न्यास में वेतन स्तर – 8;		
(47600-151100) में नियमित आधार पर छह वर्ष		
की सेवा की हो, पर भी बाहरी अभ्यर्थियो के साथ		
विचार किया जाएगा और यदि वह चयनित हो जाता		
है / जाती है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया पद माना जाएगा।		
टिप्पण:		
(1) पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी,		
जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है.		
प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार		
किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार,		
प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।		
(2) प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची अधिकारियों		
द्वारा संबन्धित पद पर विहित अर्हक सेवा		
पूरी करने की तारीख के संदर्भ मे तैयार की		

जाएगी।

(3) प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होंगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होंगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(3) सहायक	*1 (2017)	लागू नहीं	वेतन स्तर -11;	लागू नहीं	चालीस वर्ष से अनधिक
विधिक सलाहकार	*कार्यभार के आधार	होता	(67700-	होता	(सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय
	पर परिवर्तन किया		208700)		सरकार द्वारा समय-समय पर
	जा सकता है		,		जारी निर्देशों/आदेशों के अनुसार पॉंच वर्ष तक शिथिल की जा
					सकती है) ।
					टिप्पण:
					आयु – सीमा अवधारित करने के
					लिए निर्णायक तारीख भारत में
					अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने
					के लिए नियत की गई अंतिम
					तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय,
					अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम,
					मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा,
					सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के
					लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के
					लाहोल और स्पिति जिले तथा
					चंबा जिले के पांगी उप खंड,
					अंदमान एवं निकोबार द्वीप या
					लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।:

	(7)	(8)	(9)	(10)
(i)	मान्यताप्राप्त	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती से किए जाने वाले	प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा
	विश्वविद्यालय से विधि में		व्यक्ति के लिए दो वर्ष।	जिसके न हो सकने पर सीधी
	बेचलर डिग्री;		टिप्पण :	भर्ती द्वारा ।
(ii)	विधिक अथवा न्यायिक		दो वर्ष की अविध में सफलता	
()	मामलों में काम करने का		पूर्वक पूरी की गयी दो सप्ताह	
	पाँच वर्ष का अनुभव।		की आज्ञापक प्रवेश प्रश्क्षिण	
			अवधि शामिल होगी ।	

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन:	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए)	लागू नहीं होता ।
केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के विभागों	जिसमें निम्नलिखित होंगे।	
अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान	(i) संयुक्त सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी,	
संस्थानों अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा अर्द्ध	राष्ट्रीय न्यास– अध्यक्ष;	
सरकारी अथवा स्वायत्त अथवा कानूनी संगठनों में	 (ii) निदेशक / उप सचिव, प्रशासनिक मंत्रालय – सदस्य;	
कार्यरत वे अधिकारी जो;		
(क) (i) जो मूल काडर / विभाग में नियमित आधार पर	(iii) कार्यक्रम निदेशक, राष्ट्रीय न्यास – सदस्य।	
सदृश पद धारण किए हुए हैं; या		
(ii) जिन्होंने वेतन स्तर – 10; (56100-177500) के		
वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात्		
उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; या		
(iii) जो वेतन स्तर – 8; (47600-151100) में		
छ: वर्ष नियमित सेवा के साथ पद धारण करते हो या		
समतुल्य, या		
(iv) जो वेतन स्तर – 7; (44900-142400) में सात		
वर्ष नियमित सेवा के साथ पद धारण करते हो या		
समतुल्य		
(ग) जिनके पास सीधी भर्ती किए जाने वाले		
व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हो।		
टिप्पण:		
प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार		
के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति		
के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पर पर		
प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से		
अधिक नहीं होगी ।		
प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा		
आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से		
अधिक नहीं होगी ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(4) लेखा	*1 (2017)	लागू नहीं होता	वेतन स्तर – 8;	लागू नहीं होता ।	तीस वर्ष से अनधिक।
अधिकारी	* कार्यभार के		(47600-		(सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय
	आधार पर परिवर्तन किया		151100)		सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों अथवा आदेशों के
	परिवर्तन किया जा सकता है।				अनुसार पाँच वर्ष तक शिथिल
	311 (111/11 6)				की जा सकती है)।
					टिप्पण:
					आयु – सीमा अवधारित करने के
					लिए निर्णायक तारीख भारत में
					अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम
					तारीख होगी । (न कि वह अंतिम
					तारीख जो असम, मेघालय,
					अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम,
					मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा,

			सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पिति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप खंड, अंदमान एवं निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।
(7)	(8)	(9)	(10)
 (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री; (ii) किसी सरकारी कार्यालय अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रम अथवा स्वायत्त निकाय अथवा कानूनी निकाय में नकदी, लेखा, बजट कार्य में चार वर्ष का अनुभव। 	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती से किए जाने वाले व्यक्ति के लिए दो वर्ष। टिप्पण: दो वर्ष की अवधि में सफलता पूर्वक पूरी की गयी दो सप्ताह आज्ञापक प्रवेश प्रशिक्षण अवधि शामिल होगी।	संयुक्त पद्धति द्वारा (प्रतिनियुक्ति / प्रोन्नति) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)(12)(13)प्रतिनियुक्ति: विभागीय प्रोन्नति / पृष्टि समिति (प्रोन्नति लागू नहीं होता। केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के विभागों और पृष्टि पर विचार करने के लिए) में अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त निम्नलिखित होगे: अनुसंधान संस्थानों अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों (1) संयुक्त सचिव और मुख्य कार्यकारी अथवा अर्द्ध सरकारी अथवा स्वायत्त अथवा कानूनी अधिकारी, राष्ट्रीय न्यास – अध्यक्ष; संगठनों में कार्यरत वे अधिकारी जो; (2) निदेशक / उपसचिव (वित्त), प्रशासनिक (क) (i) जो मूल काडर / विभाग में नियमित आधार मंत्रालय – सदस्य; पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (3) निदेशक / उपसचिव, प्रशासनिक (ii) जो वेतन स्तर – 7 (44900- 142400) या मंत्रालय – सदस्य; समतुल्य के साथ उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा (4) उप-निदेशक, राष्ट्रीय न्यास – सदस्य।. के साथ पद धारण करते हो, या (iii) जो वेतन स्तर – 6; (35400-112400) या समतुल्य के साथ उस श्रेणी मे छह वर्ष नियमित सेवा के साथ पद धारण करते हो; और (ख) (i) केन्द्रीय सरकार के किसी संगठित लेखा विभाग द्वारा आयोजित अधीनस्थ लेखा सेवा अथवा समतुल्य परीक्षा पास की हो; (ii) सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान अथवा समतुल्य से रोकड़ और लेखा कार्य में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया हो और रोकड़, लेखा, लेखापरीक्षा और बजट कार्य में 4 वर्ष का अनुभव हो। उन लेखाकारों पर भी बाहरी अभ्यर्थियों के साथ विचार किया जाएगा, जिन्होंने राष्ट्रीय न्यास में वेतन बेंड 6; (35400-112400) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छ: वर्ष की सेवा

सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56

वर्ष से अधिक नहीं होगी।

की हो और यदि उस पद पर नियुक्ति के लिए उनका चयन हो जाता है तो उस पद को प्रोन्नति से भरा गया पद माना जाएगा। टिप्पण: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु

(1)	(2)	(2)	(4)	(5)	(G)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(5) कार्यक्रम	*1 (2017)	लागू नहीं होता	वेतन स्तर – 7;	लागू नहीं होता	तीस वर्ष से अनधिक।
अधिकारी	*कार्यभार के आधार		(44900-		(सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय
	पर परिवर्तन किया		142400)		सरकार द्वारा समय-समय पर
	जा सकता है।		142400)		जारी निर्देशों अथवा आदेशों के
					अनुसार पाँच वर्ष तक शिथिल
					की जा सकती है) ।
					टिप्पणः
					आयु – सीमा अवधारित करने के
					लिए निर्णायक तारीख भारत में
					अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने
					के लिए नियत की गई अंतिम
					तारीख होगी । (न कि वह अंतिम
					तारीख जो असम, मेघालय,
					अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम,
					मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा,
					सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के
					लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के
					लाहोल और स्पिति जिले तथा
					चंबा जिले के पांगी उप खंड,
					अंदमान एवं निकोबार द्वीप या
					लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए
					विहित की गई है।

डिग्री;		
(ii) विकासात्मक क्षेत्र में कार्य करने का		
तीन वर्ष का अनुभव।		
वांछनीय :		
(i) दिव्यांगता के क्षेत्र में अनुभव;		
(ii) कंप्यूटर में प्रवीणता ।		

(11)(12)(13)प्रतिनियुक्ति: विभागीय प्रोन्नति / पुष्टि समिति (प्रोन्नति और पुष्टि पर लागू नहीं होता। केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के विभागों विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे। अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त 1. संयुक्त सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अनुसंधान संस्थानों अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों राष्ट्रीय न्यास – अध्यक्ष; अथवा अर्द्ध सरकारी अथवा स्वायत्त अथवा कानूनी 2. निदेशक / उपसचिव, प्रशासनिक मंत्रालय – सदस्य; संगठनों में कार्यरत वे अधिकारी जो; 3. कार्यक्रम निदेशक, राष्ट्रीय न्यास – सदस्य; (क) (i) जो मूल काडर / विभाग में नियमित आधार 4. उप-निदेशक (प्रशासन), राष्ट्रीय न्यास –सदस्य। पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जो वेतन स्तर – 6; (35400-112400) के वेतनमान में, उस श्रेणी में पाँच वर्ष की सेवा के साथ पद धारण किए हुए है; और (ख) जिनके पास सीधी भर्ती के लिए यथा विहित अर्हताएं और अनुभव हो। उन सहायकों पर भी, जिन्होंने राष्ट्रीय न्यास में वेतन स्तर - 6; (35400-112400) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो, बाहरी अभ्यथियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उस पद पर नियुक्ति के लिए उनका चयन हो जाता है तो उस पद को प्रोन्नति से भरा गया पद माना जाएगा। टिप्पण: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(6) निजी सचिव	*1 (2017)	लागू नहीं होता	वेतन स्तर – 7;	चयन	लागू नहीं होता
	*कार्यभार के आधार		(44900-142400)		
	पर परिवर्तन किया				
	जा सकता है।				

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

	सकन पर	प्रातानयुक्ति द्वारा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति:	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार	लागू नहीं होता।
ऐसा वैयक्तिक सहायक, जिसने राष्ट्रीय न्यास में वेतन स्तर	करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:	
- 6; (35400-112400) में नियमित आधार पर नियुक्ति	1. संयुक्त सचिव और मुख्य कार्यकारी	
के पश्चात् पाँच वर्ष की सेवा की हो।	अधिकारी, राष्ट्रीय न्यास – अध्यक्ष;	
टिप्पण:	2. निदेशक / उपसचिव, प्रशासनिक मंत्रालय 🗕	
जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी	सदस्य;	
अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार	3. कार्यक्रम निदेशक, राष्ट्रीय न्यास – सदस्य;	
किया जा रहा हो, वहा उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी	4. उप-निदेशक, राष्ट्रीय न्यास – सदस्य।	
विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की		
गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के		
आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो,		
कम न हो ओर उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियो सहित,		
जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है,		
अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की		
अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		
प्रतिनियुक्तिः केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के विभागों अथवा		
विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों		
अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा अर्द्ध सरकारी अथवा		
स्वायत्त अथवा कानूनी संगठनों में कार्यरत वे अधिकारी		
जो;		
(क) (i) जो मूल काडर / विभाग में नियमित आधार पर		
सदृश पद धारण किए हुए हैं; या		
(ii) जो वेतन स्तर – 6; (35400-112400) के वेतनमान		
में, उस श्रेणी में पाँच वर्ष की सेवा पद धारण किए		
हुए है; और		
(ख) जिनके पास केवल कंप्यूटर पर आशुलिपि (अंगेजी		
अथवा हिन्दी) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति हो।		
वांछनीय : :		
कंप्यूटर अर्थात् माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पोइंट, इत्यादि में प्रवीणता।		
टिप्पण 1:		
प्रोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की		
सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार		
किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर		
नियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए		
जाने के पात्र नहीं होंगे।		

टिप्पणः 2:	
प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के	
उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग मे इस नियुक्ति से ठीक	
पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति	
की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा	
आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक	
नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(7) सहायक।	*1 (2017)	लागू नहीं होता।	वेतन स्तर 🗕 6;	चयन।	तीस वर्ष से अनधिक।
	*कार्यभार के आधार		(35400-		(सरकारी सेवकों के लिए
	पर परिवर्तन किया		112400)		केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-
	जा सकता है।		,		समय पर जारी निर्देशों अथवा
					आदेशों के अनुसार पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।
					टिप्पण:
					आयु–सीमा अवधारित करने के
					लिए निर्णायक तारीख भारत में
					अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त
					करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि
					वह अंतिम तारीख जो असम,
					मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,
					मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड,
					त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू -
					कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड,
					हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के
					पांगी उप खंड, अंदमान एवं
					निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के
					अभ्यर्थियों के लिए विहित की
					गई है।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बेचलर डिग्री; (ii) प्रशासन और लेखा में दो वर्ष का अनुभव। वांछनीय: (i) कंप्यूटर प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पोइंट, इत्यादि में प्रवीणता। (ii) दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव।	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं: हाँ।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति के लिए दो वर्ष। टिप्पणः दो वर्ष की अवधि में सफलता पूर्वक पूरी की गयी दो सप्ताह की आज्ञापक प्रवेश प्रशिक्षण अवधि शामिल होगी।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के द्वारा न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति:	आयु : नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले
अपर श्रेणी लिपिक और कार्यक्रम सहायक जिसने राष्ट्रीय न्यास में	 शैक्षिक अर्हताएं: हाँ।	व्यक्ति के लिए दो वर्ष।
वेतन स्तर - 4; (25500-81100) में नियमित आधार पर		टिप्पण:
नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की है।		दो वर्ष की अवधि में सफलता
टिप्पण:		पूर्वक पूरी की गयी दो सप्ताह की आज्ञापक प्रवेश प्रशिक्षण
जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियो के संबंध मे, जिन्होने अपनी अर्हक/		अवधि शामिल होगी।
पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के विचार किया जा रहा हो,		
वहा उनके ज्येष्ठ व्यक्तियो के संबंध मे भी विचार किया जाएगा		
परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा,		
अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से,		
इनमे से जो भी कम हो, कम न हो ओर उन्होने अपने ऐसे कनिष्ठ		
व्यक्तियो सहित, जिन्होने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी		
कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा		
की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		
प्रतिनियुक्तिः		
केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के विभागों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा अर्द्ध सरकारी अथवा स्वायत्त		
अथवा कानूनी संगठनों में कार्यरत वे अधिकारी जो;		
(i) जो मूल काडर / विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या		
(ii) जो वेतन स्तर – 5; (29200-92300) के वेतनमान में, उस		
श्रेणी में छह वर्ष की सेवा के साथ पद धारण किए हुये है; अथवा		
(iii) जो वेतन वेतन स्तर – 4; (25500-81100) के		
वेतनमान में, उस श्रेणी में दस वर्ष की सेवा के साथ पद धारण		
किए हुये है ; और		
(ख) जिनके पास स्तंभ (7) में सीधी भर्ती के लिए यथा विहित		
अर्हताएं और अनुभव हो।		
टिप्पण 1:		
प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या		
किसी अन्य संगठन/विभाग मे इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित		
किसी अन्य काडर बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है,		
साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा ओवेदन प्राप्त करने की		
अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
टिप्पण 2:		
पोषक प्रवर्ग से ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी		
पंक्ति मे है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के		
पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा		
नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(8) लेखाकार ।	*1 (2017)	लागू नहीं होता।	वेतन स्तर – 6;	लागू नहीं होता।	तीस वर्ष से अनिधक
	*कार्यभार के आधार		(35400 -		(सरकारी सेवकों के लिए
	पर परिवर्तन किया		112400)		केन्द्रीय सरकार द्वारा
	जा सकता है।		,		समय-समय पर जारी
					निर्देशों अथवा आदेशों के
					अनुसार पॉंच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।
					टिप्पण:
					आयु – सीमा अवधारित
					करने के लिए निर्णायक
					तारीख भारत में
					अभ्यर्थियों से आवेदन
					प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख
					होगी । (न कि वह अंतिम
					तारीख जो असम,
					मेघालय, अरुणाचल
					प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,
					नागालैंड, त्रिपुरा,
					सिक्किम, जम्मू - कश्मीर
					राज्य के लद्दाख खंड,
					हिमाचल प्रदेश के लाहोल
					और स्पीति जिले तथा
					चंबा जिले के पांगी उप
					खंड, अंदमान एवं
					निकोबार द्वीप या
					लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के
	1				लिए विहित की गई है ।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (i) मान्यता प्राप्त विश्विवद्यालय से बैचलर डिग्री; और (ii) किसी सरकारी कार्यालय अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रम अथवा स्वायत्त निकाय अथवा कानूनी निकाय में रोकड़, लेखा और बजट कार्य का दो वर्ष का अनुभव। वांछनीय: (i) कंपयूटर प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पोइंट, इत्यादि में प्रवीणता; (ii) दिव्यांगता क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव।	लागू नहीं होता ।	सीधी भर्ती से किए जाने वाले व्यक्ति के लिए दो वर्ष। टिप्पण: दो वर्ष की अवधि में सफलता पूर्वक पूरी की गयी दो सप्ताह की आजापक प्रवेश प्रशिक्षण अवधि शामिल होगी।	9

(11)	(12)	(13)
प्रितिनेयुक्ति/आमेलनः (क) (i) केन्द्रीय सचिवालय सिविल सेवा के अपर श्रेणी लिपिक जिन्होंने इस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ii) सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान अथवा समतुल्य संस्थान से रोकड़ और लेखा कार्य में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया हो और रोकड़, लेखा और बजट कार्य के संचालन में दो वर्ष का अनुभव हो। (ख) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के विभागों अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा अर्द्ध सरकारी अथवा स्वायत्त अथवा कानूनी संगठनों में कार्यरत वे अधिकारी जो; (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जो वेतन स्तर – 5; (29200-92300) के वेतनमान में उस श्रेणी में छह वर्ष की सेवा के साथ पद धारण करते या समतुल्य; अथवा (iii) जो वेतन स्तर – 4; (25500-81100) के वेतनमान, उस श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा के साथ पद धारण करते या समतुल्य; अथवा (ख) जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान अथवा समत्रल्य मंस्थान से रोकड़ और	विभागीय पृष्टि समिति (पृष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमे निम्नलिखित होंगे: 1. संयुक्त सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय न्यास – अध्यक्ष; 1) निदेशक / उप-सचिव / प्रशासनिक मंत्रालय – सदस्य; 2) कार्यक्रम निदेशक, राष्ट्रीय न्यास – सदस्य; 3) उप-निदेशक, राष्ट्रीय न्यास – सदस्य।	लागू नहीं होता।
संस्थान अथवा समतुल्य संस्थान से रोकड़ और लेखा में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और जिनके पास रोकड़, लेखा और बजट कार्य में दो वर्ष का अनुभव हो।		
टिप्पण:		
प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग मे इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(9) वैयक्तिक	*2 (2017)	लागू नहीं होता।	वेतन स्तर – 6;	लागू नहीं	
सहायक	*कार्यभार के आधार		(35400-	होता।	(सरकारी सेवकों के लिए केंद्रीय
	पर परिवर्तन किया		112400)		सरकार द्वारा समय-समय पर
	जा सकता है।		·		जारी निर्देशों अथवा आदेशों के अनुसार पाँच वर्ष तक शिथिल

		की जा सकती है)।
		टिप्पण ः
		आयु – सीमा अवधारित करने
		के लिए निर्णायक तारीख भारत
		मे अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त
		करने के लिए नियत की गई
		अंतिम तारीख होगी । (न कि
		वह अंतिम तारीख जो असम,
		मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,
		मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड,
		त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू -
		कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड,
		हिमाचल प्रदेश के लाहोल और
		स्पीति जिले तथा चंबा जिले के
		पांगी उप खंड, अंदमान एवं
		निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के
		अभ्यर्थियों के लिए विहित की
		गई है।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक :	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा।
 आवश्यक: (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री; (ii) जिनके पास आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट की गित हो। वांछनीय: कंप्यूटर प्रयोग – माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पोइंट, इत्यादि में प्रवीणता। 	लागू नहीं होता।	टिप्पण:	टिप्पणः पदघारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के उन अधिकारियों, जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए
			यथा विहित अर्हताएं और अनुभव हैं, से प्रतिनियुक्तियों के आधार पर भरी जा सकेगी।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमे निम्नलिखित	लागू नहीं होता।
	होंगे:	
	1. संयुक्त सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय न्यास – अध्यक्ष;	
	2. निदेशक अथवा उप-सचिव, प्रशासनिक मंत्रालय – सदस्य;	
	3. कार्यक्रम निदेशक, राष्ट्रीय न्यास – सदस्य;	
	4. उप-निदेशक, राष्ट्रीय न्यास – सदस्य।	

(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
(10) कार्यक्रम	*2 (2017)	लागू नहीं होता।	वेतन	स्तर	_	4;	लागू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष के बीच।
सहायक।	*कार्यभार के आधार		(2550	0-811	00)			

0,0		
पर परिवर्तन किया		(केन्द्रीय सरकार द्वारा
जा सकता है।		समय-समय पर जारी
		निर्देशों अथवा आदेशों
		के अनुसार सरकारी
		सेवकों के लिए शिथिल
		करके चालीस वर्ष तक
		की जा सकती है)।
		टिप्पण :
		आयु – सीमा
		अवधारित करने के
		लिए निर्णायक तारीख
		भारत में अभ्यर्थियों से
		आवेदन प्राप्त करने के
		लिए नियत की गई
		अंतिम तारीख होगी ।
		(न कि वह अंतिम
		तारीख जो असम,
		मेघालय, अरुणाचल
		प्रदेश, मिजोरम,
		मणिपुर, नागालैंड,
		त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू
		- कश्मीर राज्य के
		लद्दाख खंड, हिमाचल
		प्रदेश के लाहोल और
		स्पीति जिले तथा चंबा
		जिले के पांगी उप खंड,
		अंदमान एवं निकोबार
		द्वीप या लक्षद्वीप के
		अभ्यर्थियों के लिए
		विहित की गई है ।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा।
	टिप्पण:	टिप्पण:
	दो वर्ष की अवधि में सफलता पूर्वक पूरी की गयी दो सप्ताह की आज्ञापक प्रवेश प्रशिक्षण अवधि शामिल होगी।	पदघारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अविध के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के उन अधिकारियों, जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए यथा विहित अर्हताएं एवं अनुभव हैं, से प्रतिनियुक्तियों के अधार पर भरी जा सकेगी।
		लागू नहीं होता। दो वर्ष। टिप्पण : दो वर्ष की अवधि में सफलता पूर्वक पूरी की गयी दो सप्ताह की आज्ञापक प्रवेश प्रशिक्षण

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	विभागीय पुष्टि समिति(पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमे निम्नलिखित	लागू नहीं होता।
	होंगे:	
	(1) उप-निदेशक, राष्ट्रीय न्यास-अध्यक्ष;	
	(2) अवर सचिव, प्रशासनिक मंत्रालय – सदस्य;	
	(3) संयुक्त सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट	
	राष्ट्रीय न्यास का एक अधिकारी – सदस्य।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(11) उच्च श्रेणी	*1 (2017)	लागू नहीं होता।	वेतन स्तर – 4;	लागू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष के बीच।
लिपिक	*कार्यभार के आधार		(25500-81100)		(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय
	पर परिवर्तन किया				समय पर जारी निर्देशों
	जा सकता है।				अथवा आदेशों के अनुसार
					सरकारी सेवकों के लिए
					शिथिल करके चालीस वर्ष
					तक की जा सकती है)
					टिप्पण:
					आयु – सीमा अवधारित
					करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों
					से आवेदन प्राप्त करने के
					लिए नियत की गई अंतिम
					तारीख होगी । (न कि वह
					अंतिम तारीख जो असम,
					मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,
					मिजोरम, मणिपुर,
					नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम,
					जम्मू - कश्मीर राज्य के
					लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश
					के लाहोल और स्पीति जिले
					तथा चंबा जिले के पांगी
					उप खंड, अंदमान एवं
					निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप
					के अभ्यर्थियों के लिए
					विहित की गई है ।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर की डिग्री; (ii) कंप्यूटर प्रयोग माइक्रोसाफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पोइंट इत्यादि में प्रवीणता।	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती से किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। टिप्पण: दो वर्ष की अवधि में सफलता पूर्वक पूरी की गयी दो सप्ताह की आज्ञापक प्रवेश प्रशिक्षण अवधि शामिल होगी।	संयुक्त पद्धति द्वारा : {प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति (अल्पावधिक संविदा सहित)}जिसके न हो सकने पर सीघी भर्ती द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्तिः केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के विभागों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा अर्द्ध सरकारी अथवा स्वायत्त अथवा कानूनी संगठनों में कार्यरत वे अधिकारी जो; (क) (i) जो मूल काडर / विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जो वेतन स्तर – 2; (19900-63200) के वेतनमान में, उस श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा के साथ पद धारण किए हुए हों और जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए यथा विहित अर्हताएं हैं। विभागीय अवर श्रेणी लिपिक, जिन्होंने राष्ट्रीय न्यास में वेतन स्तर – 2; (19900-63200) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की हो, पर भी बाहरी अभ्यर्थियो के साथ विचार किया जाएगा और यदि उस पद पर नियुक्ति के लिए उनका चयन हो जाता है तो उस पद को प्रोन्नित से भरा गया पद माना जाएगा।	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमे निम्नलिखित होंगे : (1) उप-निदेशक,राष्ट्रीय न्यास – अध्यक्ष; (2) अवर सचिव, प्रशासनिक मंत्रालय – सदस्य; (3) संयुक्त सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट राष्ट्रीय न्यास का एक अधिकारी – सदस्य।	लागू नहीं होता।
टिप्पण: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(12) अवर श्रेणी	*1 (2017)	लागू नहीं होता।	वेतन स्तर – 2;	लागू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष के बीच,
लिपिक	*कार्यभार के आधार		(19900-63200)		(केन्द्रीय सरकार द्वारा
	पर परिवर्तन किया				जारी अनुदेशों/ निर्देशों के
	जा सकता है।				अनुसार सरकारी सेवकों
					के लिए शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा
					सकती है)।
					टिप्पण:
					आयु – सीमा अवधारित
					करने के लिए निर्णायक
					तारीख भारत मे अभ्यर्थियों से आवेदन
					प्राप्त करने के लिए नियत
					की गई अंतिम तारीख
					होगी । (न कि वह अंतिम
					तारीख जो असम,

		मेघालय, अरुणाचल
		प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,
		नागालैंड, त्रिपुरा,
		सिक्किम, जम्मू - कश्मीर
		राज्य के लद्दाख खंड,
		हिमाचल प्रदेश के लाहोल
		और स्पीति जिले तथा
		चंबा जिले के पांगी उप
		खंड, अंदमान एवं
		निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के
		लिए विहित की गई है ।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक:		सीधी भर्ती से किए जाने वाले व्यक्ति के लिए दो वर्ष।	(i) 85% सीधी भर्ती द्वारा;
(i) मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास अर्हता;		टिप्पण:	(ii) 15% प्रोन्नति द्वारा
(ii) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट अथवा		दो वर्ष की अवधि में सफलता पूर्वक पूरी की गयी दो सप्ताह	
हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति।		की आज्ञापक प्रवेश प्रशिक्षण अवधि शामिल होगी।	
वांछनीय :			
(i) कंप्यूटर अनुप्रयोग का			
आधारित ज्ञान –			
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड,			
एक्सेल, पावर पोईंट,			
आदि ।			

(11)	(12)	(13)
बहु कार्य कर्मचारी जिन्होंने राष्ट्रीय न्यास में	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति एवं पुष्टि पर	लागू नहीं होता।
उस श्रेणी में नियमित आधार पर तीन वर्ष की	विचार करने के लिए) मे निम्नलिखित होंगे :	
सेवा दी है। .	(1) उप-निदेशक , राष्ट्रीय न्यास 🗕 अध्यक्ष;	
टिप्पण:	(2) अवर सचिव, प्रशासनिक मंत्रालय – सदस्य;	
जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियो के संबंध मे, जिन्होंने	(3) संयुक्त सचिव और मुख्य कार्यकारी	
अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है,	अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट राष्ट्रीय न्यास	
प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां	का एक अधिकारी – सदस्य।	
उनके ज्येष्ठ व्यक्तियो के सम्बंध मे भी विचार		
किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा		
की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा के आधे से		
अधिक से या दो वर्ष से, इनमे से जो भी कम		
हो,कम न हो और उन्होने अपने ऐसे कनिष्ठ		
व्यक्तियो सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता		
सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर		
श्रेणी मे प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की		
अवधि सफलतपूर्वक पूरी कर ली हो ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(13) बहु -कार्य	*3 (2017)	लागू नहीं होता।	वेतन स्तर – 1;	लागू नहीं होता।	18 से 25 वर्ष के बीच।
कर्मचारी	•कार्यभार के		(18000-56900)		(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी
	आधार पर परिवर्तन किया				अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए
	जा सकता है।				शिथिल करके चालीस वर्ष
					तक की जा सकती है)
					टिप्पण:
					आयु – सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक
					तारीख भारत मे अभ्यर्थियों
					से आवेदन प्राप्त करने के
					लिए नियत की गई अंतिम
					तारीख होगी । (न कि वह
					अंतिम तारीख जो असम,
					मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,
					मिजोरम, मणिपुर,
					नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम,
					जम्मू - कश्मीर राज्य के
					लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश
					के लाहोल और स्पीति जिले
					तथा चंबा जिले के पांगी
					उप खंड, अंदमान एवं
					निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप
					के अभ्यर्थियों के लिए
					विहित की गई है

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक :	लागू नहीं होता।	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा।
मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिक।		नोट:	टिप्पण:
वांछनीय :		दो वर्ष की अवधि में दो सप्ताह	
कंप्यूटर का आधारिक ज्ञान।			या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य
			परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक
		होगी।	अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई
			रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के उन
			अधिकारियों, जिनके पास स्तम्भ (7) के
			अधीन सीधी भर्ती के लिए यथा विहित
			अर्हताएं और अनुभव हैं, से प्रतिनियुक्तियों
			के अधार पर भरी जा सकेगी।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित होंगे :	लागू नहीं होता
	ानन्नालाखत हाग : (1) उप-निदेशक, राष्ट्रीय न्यास – अध्यक्ष;	
	(2) अवर सचिव, प्रशासनिक मंत्रालय – सदस्य;	

(3) संयुक्त सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट राष्ट्रीय न्यास का एक अधिकारी – सदस्य ।	

मुकेश जैन, संयुक्त सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन- ।।।/4/असा./305/17]

टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं 579(अ) तारीख 3,अगस्त ,2001 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात सा.का.नि.123(अ), तारीख 16 फरवरी, 2004, सा.का.नि. 403(अ), तारीख 27 जून, 2006 और सा.का.नि. 1022(अ), तारीख 24 दिसंबर 2010 द्वारा संशोधित किया गया था।

THE NATIONAL TRUST NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 2017

- **F. No. 164/Modified/RRs/NAT/2014-15/Vol.I** -In exercise of the powers conferred by sub-sections (I) and (2) of section 35 of the National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999), the Board with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Board of the Trust Regulations, 2001, namely:-
- **1. Short title and commencement :-** (1) These regulations may be called the Board of the National Trust (Amendment) Regulations, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Board of the Trust Regulations, 2001,-
 - (a) in regulation 3, for sub-regulation (2), the following sub- regulation shall be substituted, namely:-
- "(2) **Service Conditions** Appointment of officers and other employees, the number of posts, their educational qualifications, pay level, method of recruitment, age limit, period of probation and other matters relating to the said posts shall be as specified in the schedule annexed to these regulations.";
 - (b) after the forms, the following schedule shall be inserted, namely:-

SCHEDULE

Name of post	Number of	Classification	Pay level	Whether	
	post			selection post or	Age limit for direct
				non-selection	recruits
				post	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1) Programme	*1 (2017)	Non applicable.	Pay Level-12;	Not applicable.	Not exceeding fifty
Director.	*Subject to		(78800 –		years.
	variation		209200)		(Relaxable for
	dependent on				Government servants up
	workload.				to five years in
					accordance with
					instructions or orders
					issued by the Central
					Government from time
					to time).
					Note:
					The crucial date for
					determining the age
					limit shall be the closing
					date for receipt of
					applications from
					candidates except for
					the closing date
					prescribed for those

		residing	in Assam,
		Meghalaya	, Arunachal
		Pradesh,	Mizoram,
		Manipur,	Nagaland,
		Tripura, Si	kkim, Jammu
		and Kash	mir, Lahaul
		and Spiti	District and
		Pangi Sub	Division of
		Chamba	District of
		Himachal	Pradesh,
		Andaman	and Nicobar
		Islands	and
		Lakshadwe	ep.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancy to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Masters Degree in Sociology or Social Works or Social Science from a recognised university; (ii) eight years of experience in developmental sector. Desirable: Experience in disability sector.	Age – No. Educational qualification – Yes.	One year for Direct recruits. Note: The period of one year shall include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration.	By composite method: (deputation/promotion) failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission (UPSC) is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation: Officers working under the departments of the Central Governments or State Governments or universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or autonomous or statutory organizations holding: (A)(i) analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) a post in the pay level-11; (67700 – 208700) with five years regular service in the pay level and;	Selection Committee (for considering promotion) consisting of: (1) Joint Secretary and Chief Executive Officer, The National Trust – Chairperson; (2) Joint Secretary, Ministry of Social Justice and Empowerment, Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan) or his Representative – Member; (3) Two subject specialists in Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disability-Members. Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: (1) Joint Secretary and Chief Executive Officer, National Trust – Chairperson; (2) Joint Secretary, administrative Ministry or his representative – Member;	Not applicable.

(B) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits.

Deputy Director in the pay level-11; (67700 – 208700) and five years' service in the pay level rendered after appointment thereto on a regular basis in the National Trust will also be considered along with outsiders and in case he or she is selected, the post shall be deemed to be filled by promotion.

Note:

Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty - six years as on the closing date of receipt of applications.

(3)	Director, Administrative Ministry- Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(2) Deputy	*1 (2017)	Not applicable.	Pay Level- 11;	Not applicable	Not applicable
Director.	*Subject to	rvot approudice.	(67700 - 208700)		
	variation				
	dependent on				
	workload.				

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable	Not applicable	By composite method
			(deputation/promotion)

(11)	(12)	(13)
Deputation:	Departmental promotion committee (for	Not applicable.
Officers working under the departments of	considering promotion) consisting of:	
Central Government or State Governments or		
universities or recognized research institutes	(1) Joint Secretary and Chief Executive	
or semi - Government or autonomous bodies	Officer, National Trust – Chairperson of	
or statutory organizations or public sector	the committee;	
undertakings holding;	(2)Director/DeputySecretary, Administrative	
(A)(i) analogous post on regular basis in the	Ministry – Member;	
parent cadre or department; or	(3) Programme Director,	
(ii) with five years regular service in post in	National Trust-Member.	
the pay level- 10; (56100 – 177500) or		
equivalent; or		
(iii) with six years regular service in the pay		
level – 8; (47600 – 151100) and		
equivalent; or		
(iv) with seven years regular service in post in		
the pay level -7; (44900 – 142400) or		
equivalent; and		

(B) Possessing:

- (i) Bachelor's degree from a recognised university;
- (ii) five years experience in administration or establishment or accounts.

Preference will be given to those having experience in development sector.

Promotion:

Departmental Programme Officer in the pay level-7; (44900 – 142400) with seven years of regular service in the pay level and Accounts Officer in the pay level – 8; (47600 – 151100) with six years of regular service in the National Trust will also be considered along with outsiders and in case he/she is selected, the post shall deemed to be filled by promotion.

Note:

- (1) The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputation its shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
- (2) The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective post.
- (3) Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty- six years as on the closing date of receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
(3)Assistant	*1 (2017)	Not	Pay Level – 11;	Not applicable.	Not exceeding forty		
Legal Adviser.	*Subject to	applicable.	(67700 - 208700)		years.		
	variation				(Relaxable for		
	dependent on				Government servants up		
	workload.				to five years in		
					accordance with		
					instructions/orders		
					issued by the Central		
					Government from time		
					to time).		
					Note:		
					The date for		
					determining the age		
					limit shall be the closing		
					date for receipt of		

		applications	from
			except for
			ing date
		prescribed	
		residing i	in Assam,
		Meghalaya,	Arunachal
		Pradesh,	Mizoram,
		Manipur,	Nagaland,
		Tripura, Sik	kim, Jammu
			nir, Lahaul
		and Spiti	District and
		Pangi Sub	Division of
		Chamba	District of
		Himachal	Pradesh ,
		Andaman a	and Nicobar
		Islands	and
		Lakshadwee	ep.

	(7)	(8)	(9)	(10)	
(i)	Bachelor's Degree in Law	Not applicable.	Two years for direct recruits.	By deputation / absorption	
	from a recognised		Note:	failing which by direct	
	university;		The period of two years shall	recruitment.	
(ii)	five years of experience in		include successful completion of		
	dealing with legal or court		mandatory induction training of		
	matters.		two weeks duration.		

(11)	(12)	(13)
Deputation/Absorption:	Departmental Confirmation Committee	
Officers working under the departments of the	(for considering confirmation) consisting	Not applicable.
Central Government or State Governments or	of:	
universities or recognized research institutes or	(i) Joint Secretary and Chief Executive	
public sector undertakings or semi-government	Officer, National Trust –	
or autonomous or statutory organizations	Chairperson.	
holding:-	(ii) Director/ Deputy Secretary ,	
(A) (i) analogous post on regular basis in the	administrative Ministry – Member;	
parent cadre or department; or	(iii) Programme Director, National Trust	
(ii) a post in the pay level – 10; (56100 –	– Member.	
177500) with five years regular		
service in the pay level, or		
(iii) a post in the pay level – 8; (47600 –		
151100) with six years regular service		
or equivalent; or (iv) a post in the pay level – 7; (44900 –		
142400) with seven years regular		
service or equivalent; or		
and		
(B) possessing the qualifications and		
experience prescribed for direct		
recruits.		
Note:		
Period of deputation including period of		
deputation in another ex-cadre post held		
immediately preceding this appointment in the		
same or some other organisation of department		
of the Central Government shall not ordinarily		
exceed three years. The maximum age limit for		
appointment by deputation shall not be		
exceeding fifty- six years as on the closing date		
of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(4) Accounts	*1 (2017)	Not	Pay Level – 8;	Not applicable.	Not exceeding thirty
Officer.	*Subject to	applicable.	(47600-151100)		years.
	variation				(Relaxable for Government
	dependent on				servants upto five years in
	workload.				accordance with
					instructions or orders
					issued by the Central
					Government from time to
					time)
					Note:
					The date for determining
					the age limit shall be the
					closing date for receipt of
					applications from
					candidates except for the
					closing date prescribed for
					those residing in Assam,
					Meghalaya, Arunachal
					Pradesh, Mizoram,
					Manipur, Nagaland,
					Tripura, Sikkim, Jammu
					and Kashmir, Lahaul and
					Spiti District and Pangi
					Sub - Division of Chamba
					District of Himachal
					Pradesh, Andaman and
					Nicobar Islands and
					Lakshadweep

	(7)	(8)	(9)	(10)
(i)	Bachelor's degree from a	Not applicable.	Two years for direct recruits.	By composite method
	recognised university;		Note:	(deputation/promotion)
(ii)	four years experience in		The period of two years shall	failing which by direct
	handling cash, accounts,		include successful completion of	recruitment.
	budget work in a		mandatory induction training of	
	Government office or public		two weeks duration.	
	sector undertaking or			
	autonomous body or			
	statutory body.			

(11)	(12)	(13)
Deputation:	Departmental Promotion /Confirmation	Not applicable.
Officials working under the	Committee (for considering promotion and	
departments of the Central	confirmation) consisting of:	
Government or State Governments or		
universities or recognized research	(1) Joint Secretary and Chief Executive Officer,	
institutes or public sector	National Trust- Chairperson;	
undertakings or semi-Government or	·	
autonomous bodies or statutory	(2) Director/ Deputy Secretary (Finance),	
organizations holding:	administrative Ministry – Member;	
(A) (i) analogous post on regular	·	
basis in the parent cadre or	(3) Director/ Deputy Secretary	
department; or	Administrative Ministry – Member;	
(ii) a post in the pay level – 7; (44900	•	
- 142400) or equivalent with two	(4) Deputy Director, National Trust – Member.	
years regular service in the pay level;	•	
or		

- (iii) a post in the pay level 6; (35400 112400) with six years regular service in the pay level or equivalent; and
- (B) (i) a pass in the Subordinate Accounts Service or equivalent examination conducted by any of the organised Accounts Department of the Central Government; or
- (ii) successfully completed training in cash and accounts work from the Institute of Secretariat Training and Management or equivalent and four years of experience in cash, accounts audit and budget work.

Accountant in pay level – 6; (35400 – 112400) of the National Trust with six years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis will also be considered along with outsiders and in case he or she is selected for appointment to the post, the post shall be deemed to be filled by promotion.

Note:

Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(5)Programme	*1 (2017)	Not applicable.	Pay Level- 7;	Not applicable.	Not exceeding thirty
Officer.	*Subject to		(44900 - 142400)		years.
	variation				(Relaxable for
	dependent on				Government servants
	workload.				upto five years in
					accordance with
					instructions or orders
					issued by the Central
					Government from time to
					time).
					Note:
					The date for determining
					the age limit shall be the
					closing date for receipt of
					applications from
					candidates except for the
					closing date prescribed
					for those residing in
					Assam, Meghalaya,
					Arunachal Pradesh,

		Mizoram,	Manip	pur,
		Nagaland,	Tripi	ura,
		Sikkim,	Jammu a	and
		Kashmir,	Lahaul	and
		Spiti Dist	rict and Pa	ngi
		Sub Divis	ion of Chan	nba
		District	of Himac	chal
		Pradesh,	Andaman a	and
		Nicobar	Islands	and
		Lakshadw	еер.	

	(7)	(8)	(9)	(10)
Essenti	ial:	Not	Two years for direct	By composite method
(i)	Masters Degree in Sociology or Social	applicable.	recruits.	(deputation/ promotion)
	Works or Social Science from a		Note:	failing which by direct
	recognised university;		The period of two years	recruitment.
(ii)	one year experience in developmental		shall include successful	
	sector; or		completion of mandatory	
			induction training of two	
(i)	Bachelor's degree in Social Science or		weeks duration.	
	Sociology or Social Works from a			
	recognised University;			
(ii)	three years of experience in			
	developmental sector.			
Desiral	ble:			
(i)	experience in disability sector;			
(ii)	proficiency in computer.			

(11)	(12)	(13)
Deputation:	Departmental Promotion/Confirmation	Not applicable.
Officials working under the departments of	Committee (for considering promotion and	
the Central Government or State	confirmation) consisting of:	
Governments or universities or recognized		
research institutes or semi-Government or	Joint Secretary and Chief Executive	
autonomous or statutory organizations or	Officer, National Trust- Chairperson;	
public sector undertakings holding:		
(A).(i) analogous post on regular basis in the	2. Director/ Deputy Secretary,	
parent cadre or department; or	Administrative Ministry – Member;	
(ii) a post in the pay level – 6; (35400 –		
112400) with five years regular	3. Programme Director, National Trust –	
service in the pay level; and	Member;	
(B) possessing the qualifications and		
experience prescribed for direct	4. Deputy Director (Administration),	
recruits.	National Trust-Member.	
Assistants in the pay level – 6; (35400 –		
112400) with five years' service in the grade		
rendered after appointment thereto on a		
regular basis in the National Trust will be		
considered along with outsiders and in case		
he or she is selected for appointment to the		
post, the post shall deemed to be filled by		
promotion. Note:		
Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held		
immediately preceding this appointment in		
the same or some other organisation or		
department of the Central Government shall		
ordinarily not exceed three years. The		
maximum age limit for appointment by		
maximum age mint for appointment by		

deputation shall be not exceeding fifty- six	
years as on the closing date of receipt of	
applications.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(6)Private	*2 (2017)	Not applicable.	Pay Level- 7;	Selection	Not applicable.
Secretary.	*Subject to		(44900 - 142400)		
	variation dependent				
	on workload.				

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not Applicable.	By promotion, failing
			which by deputation

(11)	(12)	(13)
Promotion:	Departmental Promotion Committee (for	Not applicable.
Personal Assistants in the pay level – 6;	considering promotion) consisting of:	11
(35400 – 112400) with five years' service		
rendered after appointment thereto on a	Joint Secretary and Chief Executive	
regular basis in the National Trust.	Officer, National Trust- Chairperson;	
Note:	Director/ Deputy Secretary,	
Where juniors who have completed their	Administrative Ministry – Member;	
qualifying or eligibility service are being	3. Programme Director, National Trust –	
considered for promotion, their seniors	Member;	
would also be considered provided they are	4. (Deputy Director, National Trust –	
not short of the requisite qualifying or	Member.	
eligibility service by more than half of such		
qualifying or eligibility service or two years,		
whichever is less, and have successfully		
completed probation period for promotion to		
the next higher grade along with their		
juniors who have already completed such		
qualifying or eligibility service.		
Deputation: Officers working under the departments of		
the Central Government or State		
Governments or universities or recognized		
research institutes or public sector		
undertakings or semi- Government or		
autonomous bodies or statutory		
organizations and holding:-		
(A) (i) analogous posts on regular basis		
in the parents cadre or department;		
or		
(ii) a post in pay level – 6; (35400 –		
112400) with five years regular		
service in the pay level; and		
(B) possessing a speed of 100 words per		
minute in shorthand (English or Hindi)		
only on computer.		
Desirable:		
Proficiency in computer that is Micro Soft		
Word, Excel, Power Point, etc,.		
Note 1:		
The departmental officers in the feeder		
category who are in the direct line of		
promotion shall not be eligible for		
consideration for appointment on deputation.		

applications.

Similarly, deputationists shall be not eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2:
Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty- six years as on the closing date of receipt of

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(7) Assistant.	*1 (2017)	Not applicable.	Pay Level– 6;	Selection	Not exceeding thirty years.
	*Subject to		(35400-		Relaxable for Government
	variation		112400)		servants upto five years in
	dependent on				accordance with instructions
	workload.				or orders issued by the Central
					Government from time to
					time.
					Note:
					The date for determining the
					age limit shall be the closing
					date for receipt of applications
					from candidates except for the
					closing date prescribed for
					those residing in Assam,
					Meghalaya, Arunachal
					Pradesh, Mizoram, Manipur,
					Nagaland, Tripura, Sikkim,
					Jammu and Kashmir, Lahaul
					and Spiti District and Pangi
					Sub - Division of Chamba
					District of Himachal Pradesh,
					Andaman and Nicobar
					Islands and Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential:	Age: No	Two years for direct	By promotion, failing
(i) Bachelor's Degree	Educational Qualification -	recruits.	which by deputation and
from a recognized	Yes.		failing both, by direct
University;		Note:	recruitment.
(ii) two years experience			
in administration and		The period of two years	
accounts.		shall include successful	
Desirable :		completion of mandatory	
(i) Proficiency in		induction training of two	
computer usage Micro		weeks duration.	
Soft Word, excel,			
power point, etc,.			
(ii)experience of working			
in disability sector.			

(12)(11)(13)Departmental Committee **Promotion:** Promotion (for Not applicable. Upper Division Clerk and Programme considering promotion and confirmation) Associate in the pay level - 4; (25500 consisting of: Joint Secretary and Chief Executive Officer, 81100) with ten years' service in the grade 1) rendered after appointment thereto on a Chairperson; National Trust-2) regular basis in the National Trust. Director/ Deputy Secretary, Administrative Note: Ministry – Member; 3) Where juniors who have completed their Programme Director, National Trust qualifying or eligibility service are being Member; considered for promotion, their seniors 4) Deputy Director, National Trust - Member. would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officials working under the departments of Central Government or Governments or universities or recognized research institutes or public sector undertakings or semi- Government or autonomous or statutory organisations and holding: (A) (i) analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) a post in the pay level -5; (29200) - 92300) with six years regular service in the pay level; or (iii) a post in the pay level – 4; (25500 - 81100) with 10 years regular service in the pay level; and (B) possessing qualification and experience prescribed for direct recruits under Column (7). Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty- six years as on the closing date of receipt of applications. Note 2: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall be not eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall be not eligible for consideration for appointment by promotion.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(8) Accountant.	*1 (2017)	Not applicable.	Pay Level -6;	Not applicable.	Not exceeding thirty
	*Subject to		(35400 - 112400)		years.
	variation				(Relaxable for
	dependent on				Government servants up
	workload.				to five years in
					accordance with
					instructions or orders
					issued by the Central
					Government from time to
					time).
					Note:
					The date for determining
					the age-limit shall be the
					closing date for receipt of
					applications from
					candidates except for the
					closing date prescribed
					for those residing in
					Assam, Meghalaya,
					Arunachal Pradesh,
					Mizoram, Manipur,
					Nagaland, Tripura,
					Sikkim, Jammu and
					Kashmir, Lahaul and
					Spiti District and Pangi
					Sub - Division of Chamba
					District of Himachal
					Pradesh , Andaman and
					Nicobar Islands and
					Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential:	Not applicable.	Two years for direct	By deputation /absorption
(i) (Bachelor's Degree from a		recruits.	failing which by direct
recognized University; and		Note:	recruitment.
(ii) two years experience in cash,		The period of two years	
accounts and budget work in a		shall include successful	
Government office or public		completion of mandatory	
sector undertaking or		induction training of two	
autonomous body or statutory		weeks duration.	
body.			
Desirable:			
(iii) Proficiency in computer usage			
Micro Soft word, excel, power			
point, etc;			
(iv) experience of working in			
disability sector.			

(11)	(12)	(13)
Deputation/Absorption:	Departmental Confirmation Committee	Not applicable.
(A) (i) Upper Divisional Clerk of Central	(for considering confirmation) consisting	
Secretariat Civil Services with eight years	of:	
of regular service in the grade; and	1) Joint Secretary and Chief	
(ii) have undergone training in cash and	Executive Officer, National	
accounts work from Institute of	Trust- Chairperson;	
Secretariat Training and Management or	2) Director/ Deputy Secretary,	
equivalent and possess two years	Administrative Ministry –	

- experience of handling cash, accounts and budget work; or
- (B) officials working under the departments of the Central Government or State Governments or public sector undertakings or semi-Government or autonomous or statutory organisations holding:
 - (i) analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
 - (ii) post carrying pay in the pay level 5; (29200–92300) with six years regular service in the pay level or equivalent; or
 - (iii) post carrying pay in the pay level -4; (25500 – 81100)with eight years regular service in the pay level or equivalent; and
- (C) have undergone training in cash and accounts work from the Institute of Secretariat Training and Management or equivalent and possess two years experience of handling cash, accounts and budget work.

Note 1:

Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty -six years as on the closing date of receipt of applications.

Member;

- 3) Programme Director, National Trust Member;
- 4) Deputy Director, National Trust Member.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(9) Personal	*2 (2017)	Not applicable.	Pay Level -6;	Not	Not exceeding thirty
Assistant.	*Subject to		(35400-112400)	applicable.	years.
	variation				(Relaxable for Government
	dependent on				servants up to five years in
	workload.				accordance with the
					instructions or orders
					issued by the Central
					Government from time to
					time).
					Note:
					The date for determining
					the age limit shall be the
					closing date for receipt of
					applications from
					candidates except for the
					closing date prescribed for
					those residing in Assam,
					Meghalaya, Arunachal
					Pradesh, Mizoram,
					Manipur, Nagaland,
					Tripura, Sikkim, Jammu
					and Kashmir, Lahaul and
					Spiti District and Pangi
					Sub Division of Chamba
					District of Himachal
					Pradesh , Andaman and
					Nicobar Islands and
				1	Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential:	Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.
(i) Bachelor's degree from a		Note:	Note:
recognised university;		The period of two years	Vacancies caused by the
(ii) possessing a speed of 100		shall include successful	incumbent being away on
words per minute in		completion of mandatory	deputation or long illness or
shorthand		induction training of two	study leave or under other
Desirable:		weeks duration	circumstances for a duration of
Proficiency in computer usage-			one year or more may be filled
Micro Soft Word, Excel, Power			on deputation basis from officers
Point, etc,			of Central Government and
			possessing the qualifications and
			experience prescribed for direct
			recruits under column (7)

(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Departmental Confirmation Committee (for considering	Not applicable.
	confirmation) consisting of:	
	(1) Joint Secretary and Chief Executive Officer, National	
	Trust- Chairperson;	
	(2) Director or Deputy Secretary, Administrative Ministry –	
	Member;	
	(3) Programme Director, National Trust – Member;	
	(4) Deputy Director, National Trust – Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(10) Programme	*2 (2017)	Not applicable.	Pay Level -4;	Not applicable.	Between 18 and 27
Associate.	*Subject to		(25500-81100)		years.
	variation				(Relaxable for
	dependent on				Government servants up
	workload.				to forty years in
					accordance with the
					instructions or orders
					issued by the Central
					Government from time
					to time).
					Note:
					The date for
					determining the age-
					limit shall be the closing
					date for receipt of
					applications from
					candidates except for
					the closing date
					prescribed for those
					residing in Assam,
					Meghalaya, Arunachal
					Pradesh, Mizoram,
					Manipur, Nagaland,
					Tripura, Sikkim, Jammu
					and Kashmir, Lahaul
					and Spiti District and
					Pangi Sub-Division of Chamba District of
					Chamba District of Himachal Pradesh ,
					Andaman and Nicobar
					Islands and
					Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential:	Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.
(1) Bachelor's degree in			
sociology or social		Note:	Note:
science or Social		The period of two years	Vacancies caused by the
Works from a		shall include successful	incumbent being away on
recognised		completion of mandatory	deputation or long illness or
university.		induction training of two	study leave or under other
Desirable:		weeks duration	circumstances for a
(1) Experience of			duration of one year or
working in			more may be filled on
disability sector.			deputation basis from
(2) proficiency in			officers of Central
computer usage MS			Government and possessing
Word, Excel, Power			the qualifications and
Point, etc,.			experience prescribed for
			direct recruits under
			column (7)

(11)	(12)	(13)
Not applicable.		Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(11) Upper * Division Clerk. *;	(2) *1 (2017) *Subject to variation dependent on workload.	Not applicable.	(4) Pay Level -4; (25500 – 81100)	Not applicable.	Retween 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except for the closing date prescribed for those residing in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh , Andaman and Nicobar Islands and

	(7)	(8)	(9)	(10)
Essent	ial:	Not applicable	Two years for direct recruits	By composite method:
(i)	Bachelor's degree from		Note:	{(deputation/promotion
	a recognised university;		The period of two years shall	including short-term
(ii)	Proficiency in computer		include successful completion	contract)} failing which by
	usage: Micro Soft Word,		of mandatory induction	direct recruitment
	Excel, Power Point, etc.		training of two weeks duration	

Deputation: Officers working under the departments of the Central Government or State Governments or universities or recognized research institutes or public sector undertakings or semi - Government or autonomous or statutory organizations: (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) posts in the pay level-2; (19900-	
departments of the Central Government or State Governments or universities or recognized research institutes or public sector undertakings or semi - Government or autonomous or statutory organizations: (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (1) Deputy Director, The National Trust-Chairperson; (2) Under Secretary, -administrative Ministry - Member; (3) One officer of the National Trust to be nominated by Joint Secretary and Chief Executive Officer-Member.	
Government or State Governments or universities or recognized research institutes or public sector undertakings or semi - Government or autonomous or statutory organizations: (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or Chairperson; (2) Under Secretary, –administrative Ministry – Member; (3) One officer of the National Trust to be nominated by Joint Secretary and Chief Executive Officer-Member.	
universities or recognized research institutes or public sector undertakings or semi - Government or autonomous or statutory organizations: (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (2) Under Secretary, -administrative Ministry - Member; (3) One officer of the National Trust to be nominated by Joint Secretary and Chief Executive Officer-Member.	
institutes or public sector undertakings or semi - Government or autonomous or statutory organizations: (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or Member; (3) One officer of the National Trust to be nominated by Joint Secretary and Chief Executive Officer-Member.	
institutes or public sector undertakings or semi - Government or autonomous or statutory organizations: (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or Member; (3) One officer of the National Trust to be nominated by Joint Secretary and Chief Executive Officer-Member.	
or autonomous or statutory organizations: (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or	
or autonomous or statutory organizations: (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or	
organizations: (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or	
regular basis in the parent cadre or department; or	
or department; or	
or department; or	
(ii) posts in the pay layel 2: (10000	
(ii) posts in the pay level-2; (19900-	
63200) with eight years of	
regular service in the pay level	
and possessing qualifications	
prescribed for direct recruits	
under column (7).	
Departmental Lower Division Clerks	
in the pay level -2; (19900 – 63200)	
with eight years service in the grade	
rendered after appointment thereto on	
a regular basis in the National Trust	
will also be considered along with the	
outsiders and in case he or she is	
selected, the post shall deemed to	
have been filled by promotion.	
Note 1:	
Period of deputation including period	
of deputation in another ex-cadre post	
held immediately preceding this	
appointment in the same or some	
other organisation or department of	
the Central Government shall	
ordinarily not exceed three years. The	
maximum age-limit for appointment	
by deputation shall be not exceeding	
fifty- six years as on the closing date	
of receipt of applications.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(12) Lower	*1 (2017)	Not applicable.	Pay Level -2;	Not applicable.	Between 18 and 27
Division Clerk.	*Subject to		(19900 – 63200)		years,
	variation				(Relaxable for
	dependent on				Governments
	workload.				servants up to forty
					years in accordance
					with the instructions
					or orders issued by

		the Central
		Government).
		Note:
		The date for
		determining the age
		limit shall be the
		closing date for
		receipt of
		applications from
		candidates except for
		the closing date
		prescribed for those
		residing in Assam,
		Meghalaya,
		Arunachal Pradesh,
		Mizoram, Manipur,
		Nagaland, Tripura,
		Sikkim, Jammu and
		Kashmir, Lahaul and
		Spiti District and
		Pangi Sub-Division
		of Chamba District
		of Himachal Pradesh,
		Andaman and
		Nicobar Islands and
		Lakshadweep

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential:		Two years for direct recruits.	(i) 85% by direct
(i) 12 th Class pass qualification		Note:	recruitment;
from a recognised Board;		The period of two years shall	(ii) 15% by
(ii) typing speed of 35 words per		include successful completion	promotion.
minute in English or 30 words		of mandatory induction	
per minute in Hindi on		training of two weeks duration.	
computer.			
Desirable:			
(i) Basic knowledge in Computer			
Applications- Micro Soft Word,			
Excel, Power Point, etc.			

(11)	(12)	(13)
Multi Tasking Staff with three years	Departmental Promotion Committee	Not applicable.
of regular service in the pay level	(for considering promotion and	
rendered on a regular basis in the	confirmation) consisting of:	
National Trust.		
Note:	(1) Deputy Director, The National	
Where juniors who have completed	Trust-	
their qualifying or eligibility service	Chairperson	
are being considered for promotion,		
their seniors would also be considered	(2) Under Secretary, administrative	
provided they are not short of the	Ministry – Member;	
requisite qualifying or eligibility		
service by more than half of such	(3) One officer of the National	
qualifying or eligibility service or two	Trust to be nominated by Joint	
years, whichever is less, and have	Secretary and Chief Executive	
successfully completed probation	Officer-Member.	
period for promotion to the next		
higher grade along with their juniors		
who have already completed such		
qualifying or eligibility service.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(13) Multi-	*3(2017)	Not applicable.	Pay Level -1;	Not	Between 18 and 25
Tasking Staff.	*Subject to		(18000 - 56900)	applicable.	years.
	variation				(Relaxable for
	dependent on				Governments servants
	workload.				up to forty years in
					accordance with the
					instructions issued by
					the Central
					Government).
					Note:
					The crucial date for
					determining the age
					limit shall be the
					closing date for receipt
					of applications from
					candidates except for
					the closing date
					prescribed for those
					residing in Assam,
					Meghalaya, Arunachal
					Pradesh, Mizoram,
					Manipur, Nagaland,
					Tripura, Sikkim,
					Ladakh Division of
					Jammu and Kashmir,
					Lahaul and Spiti
					District and Pangi Sub
					- Division of Chamba
					District of Himachal
					Pradesh, Andaman
					and Nicobar Islands
					and Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential:	Not applicable.	Two years.	By direct recruitment
Matriculation from a recognised		Note:	Note:
Board.		The period of two years	Vacancies caused by the
Desirable:		shall include successful	incumbent being away on
Basic knowledge of computer.		completion of mandatory	deputation or long illness or
		induction training of two	study leave or under other
		weeks duration.	circumstances for a duration
			of one year or more may be
			filled on deputation basis from
			officers of Central
			Government and possessing
			the qualifications and
			experience prescribed for
			direct recruits under column
			(7).

(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: (1) Deputy Director, The National Trust-Chairperson; (2) Under Secretary, administrative Ministry – Member;	Not applicable.

[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 39

(3) One officer of the National Trust to be nominated by Joint Secretary and Chie Executive Officer-Member.	
---	--

MUKESH JAIN, Jt. Secy. & Chief Executive Officer

[ADVT. III/4/Exty./305/17]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 579(E), dated the 3rd August, 2001 and subsequently amended vide numbers G.S.R. 123(E), dated the 16th February, 2004, G.S.R. 403(E), dated the 27th June, 2006 and G.S.R. 1022 (E), dated the 24th December, 2010.